प्रतिरक्षा भारती
Pratiraksha Bharti

भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ का मुख्य पत्र

मई २०२५ • वर्ष-विंशति (२१) • अंक ०५ • मूल्य : १० • वार्षिक मूल्य : १२०₹

BMS DELEGATION FOR 113th ILC At GENEVA

Smt. Neelam Sharma

Shri. S. Mallesam

Shri. B. Surendran

Shri. Ramnath Ganeshe

Smt. Debashree Kalai

BHARATIYA MAZDOOR SANGH

BMS to lead Indian Workers' delegation at the ILO's International Labour Conference at Geneva.
The 113 International Labour Conference of ILO will be held
from 1 to 13 June in Geneva, Switzerland.
Tripartite delegations from 190 member countries will participate in this conference
Organised by the International Labour Organisation.

दिनाँक 23 मई 2025 को श्रीमान साधू सिंह जी की अध्यक्षता में
All India Pensioners Welfare Association की बैठक कानपुर में आयोजित की गई ।

राष्ट्र हित
उद्योग हित
मजदूर हित
BMS
BPMS

GENC का महासचिव बनने के बाद श्रीमान मुकेश सिंह–कार्यकारी अध्यक्ष का स्वागत करते
केन्द्रीय कार्यालय भारतीय प्रतिरक्षा मजदूस संघ के पदाधिकारी गण

आयुध निर्माणी मजदूर संघ अम्बाझरी में भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के सहमंत्री
श्री सदानंद गुप्ता जी – स्वदेशी जागरण मंच प्रमुख स्वदेशी अपनाने हेतु सम्बोधन करते हुए

सम्पादक की कलम से

– श्री साधू सिंह

मित्रो

आज अपना देश एक अजीब दौर से गुजर रहा है, पहलगाम में 28 निर्दोषों की शहादत से पूरा देश आहत हुआ। सरकार ने माना कि सिक्योरटी लैब्स है साथ में प्रधानमंत्री महोदय ने घोषणा की किं इसका जबाब दिया जाएगा। आप सभी ने देखा कि सिंदूर ऑपरेशन करके 9 आतंकी ठिकानों को POK सहित पाकिस्तान के विभिन्न भागों में नेस्तनाबूत किया। पाकिस्तान ने हमारे विभिन्न सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से आक्रमण करना चाहा जिसे हमारी सेनाओं ने लक्ष्य से पहले नष्ट किया और जबाब में पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को नेस्तनाबूत किया। उनके एयर बेस तबाह किये, घबड़ाये हुए पाकिस्तान ने भारत के DGMO से सीजफायर की पेशकश की दोनों देशों के DGMO से वार्ता के बाद सरकार की सहमति से सीजफायर हुआ। सीज फायर होने के बाद जैसी उम्मीद थी वैसा ही हमारे देश में हुआ कोई कह रहा है कि सरकार ने समर्पण कर दिया तो कुछ लोग पूछ रहे हैं कि भारत के कितने राफेल नष्ट हुए सरकार भाजपा और RSS तक कि आलोचना ऐसे वयक्ति ने की जो पिछले 11 वर्षों से देश को न केवल देश में बल्कि विदेश में भी नीचा दिखाने की कोशिश में लगातार कर रहा है। ऐसे लोग देश को कहाँ ले जाना चाहते है यह एक अत्यंत घटिया कार्य लगातार कर रहे है ऐसे दलों और उनके नेताओं को जनता ठिकाने लगा देगी। उन्हें स्टिंग ऑपरेशन, एयर स्ट्राइक, और ऑपरेशन सिंदूर का पूरा हिसाव दे देगी। देश को नीचा दिखाने वालों को जनता जरूर रसातल में ले जाएगी। आज पाकिस्तान त्राहि त्राहि कर रहा है लेकिन हमारे देश में मोदी फोबिया से ग्रसित लोग देश को बदनाम करने में लगें है।

हमारे महासंघ ने इस दौरान बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया अपनी सेनाओं को साजो सामान मुहैया कराने के लिये रात दिन काम करने का आश्वासन दिया। हम राष्ट्र भक्त लोगों के लिये राष्ट्र प्रथम की भावना से कार्य करने की प्रेरणा अपने मनीषियों से मिली। हम ऐसे आपात काल में अपनी सेना ,अपनी सरकार और अपने देश के साथ हमेशा खड़े थे और आगे भी खड़े रहेंगे और देश विरोधी ताकतों को नेस्तनाबूत करके रहेंगे।

Power of Indian Airforce

मित्रो NPS और UPS के ऑप्शन के लिये कुछ ही दिन शेष बचे है। कर्मचारी असमन्जश की स्थिति में है कि क्या चुना जाय कोई भी व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि आज से 30 वर्ष बाद क्या होने वाला है। क्या NPS लाभदायक होगा या यूपीएस लाभदायक होगा और राम के लिये NPS लाभदायक है तो वह श्याम के लिये भी लाभदायक ही होगा। हर व्यक्ति को अपने बारे में गणना करनी होगी। जिसका सेवा काल कम है उसके लिये UPS लाभदायक हो सकता है। लम्बी सेवा करने वालों को जो 60 प्रतिशत कुल कॉर्प्स का मिलना है वह एक बड़ी अमाउंट है। लेकिन कॉर्प्स से अपने सेवानिवृत्त के कुछ पहले विथडरॉल कर सकते है पेंशन थोड़ी कम मिलेगी। लेकिन महँगाई भत्ता मिलने के कारण पेंशन में वृद्धि मिलती रहेगी। यह कर्मचारियों को तय करना है कि उनके लिये क्या लाभदायक होगा। अपना महासंघ पुरानी पेंशन स्कीम के लिये संघर्ष जारी रखेगा। यदि सरकार OPS जैसी सभी लाभ UPS में दे दे तो कर्मचारी बिना हिचक यूपीएस स्वीकार कर लेगा।

❐

भाषण–कला

–दत्तोपंत ठेंगड़ी

वक्तृत्व–साधन

वक्तृत्व का महत्त्व आज के जनतान्त्रिक युग में किसी की भी समझ में सरलता से आ सकता है। इतना ही नहीं, इस विषय का अधिकाधिक ज्ञान प्राप्त हो ऐसी तीव्र इच्छा सभी रचनात्मक कार्यकर्त्ताओं की होती है। सार्वजनिक जीवन की सफलता असफलता में 'वक्तृत्व' निर्णायक परिणाम कर सकता है। इस दृष्टि से इस विषय पर खुली चर्चा स्वागत के योग्य है।

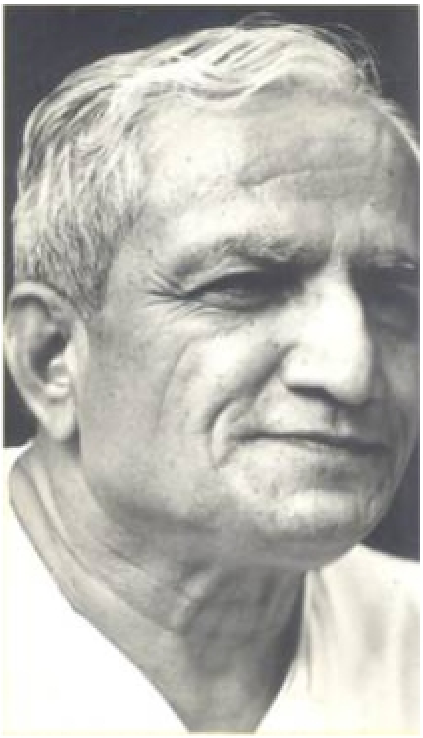

इसके साथ ही यह प्रश्न भी उपस्थित होता है कि इस विषय पर खुले रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने का अधिकार किसे है? यदि यह कहा जाये कि ख्यातिप्राप्त व सिद्धवाक् वक्ता को ही यह अधिकार है, तब तो प्रस्तुत लेखक के लिए इस सम्बन्ध में चार पंक्तियाँ लिखना ही दुस्साहस होगाय परन्तु सौन्दर्य–शास्त्र का विवेचन करने का अधिकार सुन्दर व्यक्ति का ही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। स्वतः कुरूप होने वाले व्यक्ति का भी यह अधिकार है, बशर्ते कि उसने इस शास्त्र का अध्ययन किया हो। अध्ययन के अभाव में प्राकृतिक सौन्दर्य प्राप्त व्यक्ति को भी यह अधिकार नहीं हो सकता। अतः वक्तृत्व विषयक मत–प्रदर्शन का अधिकार इस विषय में रुचि रखने वाले श्रोता का भी है, इसी भूमिका से कुछ विचार प्रस्तुत करने का साहस लेखक ने किया है।

कुछ भ्रान्तियाँ

यद्यपि यह प्रसन्नता का विषय है कि जनसाधारण को वक्तृत्व की महत्ता समझ में आने लगी हैय परन्तु खेद का विषय है कि वक्तृत्व के बारे में जितनी भ्रान्तियाँ आज प्रचलित हैं, उतनी शायद इसके पूर्व कभी नहीं रही होंगी। यहाँ तक कहा जाता है कि भगवान् ने जिसे मुख दिया है उसे वक्ता की उपाधि देने में कतई हिचक नहीं होनी चाहिए। यह ठीक है कि वक्तृत्व का अर्थ है बोलने की शक्ति, परन्तु बोलने की चाहे जैसी क्रिया को वक्तृत्व तो नहीं कहा जा सकता। बोलने वाले के विचारों या भावनाओं की छाप जब तक सुनने वालों के मन पर नहीं पड़ती या जिस बोलने में छाप डालने को सामर्थ्य नहीं है, वह वक्तृत्व नहीं, वाचालता है– यही कहा जायेगा। अर्थात् 'मुखात् क्षरति इति वक्तव्यम्' समझना ठीक नहीं।

कुछ लोग एकदम दूसरे छोर पर पहुँच जाते हैं। उनकी दृष्टि में अपने स्वयं अन्तःस्थ कोष से साहित्य का संचय करना चाहिए। इस प्रकार मन में उत्पन्न हुए सम्पूर्ण विचार लिख लेने पर तद्विषयक ग्रन्थों का अवलोकन करना चाहिए। उस विषय के जानकार व्यक्तियों से भेंट करके उनके अनुभवसिद्ध ज्ञान का संग्रह करना चाहिए।

अपनी नोट बुक को स्मरण शक्ति का विकल्प नहीं मानना चाहिए। ग्रन्थ, गुरु तथा अपनी मनन–शक्ति, ज्ञानार्जन के ये तीन प्रमुख साधन हैं। इनका अवलम्बन करते समय अच्छी स्मरणशक्ति और चित्त की एकाग्रता की क्षमता, इन दोनों की आवश्यकता है। ये दोनों शक्तियाँ कष्ट साध्य हैंय किन्तु मूल विषय के प्रति उत्कट लगन होने पर तुलनात्मक रीति से अधिक सुगमता से साध्य की जा सकती हैं।

एकाग्रता

प्रकृति का यह सर्वसामान्य सिद्धान्त है कि अपने मन में जिस विषय के सम्बन्ध में जितनी उत्सकुता होगी, उतनी ही उसके प्रति एकाग्रता होती है। अपनी रुचि के विषय में मन अधिक लगता है और स्वाभाविक रूप से वह विषय मन में स्थान पर लेता है तथा दीर्घ काल तक स्पष्ट रूप से ध्यान में रहता है। परन्तु हर बार स्वरुचि के अनुसार विषय मिले, यह तो सम्भव ही नहीं है। ऐसे प्रसंग उपस्थित होने पर प्रकृति पर निर्भर रहकर काम नहीं चल सकता। इसके लिए इच्छाशक्ति का उपयोग करना होगा। वक्तृत्व के लिए स्वरुचिपूर्ण विषय न होने पर जो भी विषय मिला है, उसके प्रति प्रयत्नपूर्वक रुचि

उत्पन्न करनी होगी। स्वाभाविक प्रवृत्तियों के विरुद्ध ऐसा इच्छा–शक्ति का संघर्ष प्रथम तो कष्टकारक लगेगाय पर निरन्तर प्रयत्न करते रहने से यह काम सहज साध्य हो सकता है। किसी भी विशेष अवसर पर अन्य सभी विषयों से अपना ध्यान हटाकर प्रस्तुत एक ही विषय पर लक्ष्य केन्द्रित करने की शक्ति असामान्य व्यक्तित्व की पार्श्वभूमि होती है।

स्मरण–शक्ति

(अ) एकाग्रता तथा उत्तम स्मरण शक्ति का महत्त्व भी सम–समान ही है, दुर्बल स्मरणशक्ति का वक्ता अधूरे आयुधों के साथ रण–भूमि पर उतरे योद्धा के समान ही है। भूतकाल से अन्तर्मन के भण्डार में जो वस्तुएँ संगृहीत हैं, उनमें से जिसकी आवश्यकता हो, उस वस्तु को चेतन मन के सम्मुख प्रस्तुत करने की अन्तर्मन की शक्ति को स्मरण शक्ति कहा जाता है। अन्तर्मन पर स्पष्ट रूप से जिस बात की छाप उभरी हो, उसका स्मरण करना सुलभ होता है। यदि छाप ही अस्पष्ट हो तो उसका स्मरण भी अस्पष्ट और कष्टसाध्य होगा। अतः इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति की, वस्तु की, घटना की या विषय की पहली मानसिक छाप सुस्पष्ट हो। एकाग्रता के समान ही स्मरण–शक्ति के लिए भी यह नियम है कि जो विषय उत्सुकता के साथ लिया जाता है, उसकी ओर मनुष्य का ध्यान पूर्ण रूप से आकृष्ट होता है। जिस ओर पूर्ण ध्यान होता है, उसी की छाप स्पष्ट पड़ती है। और जब कभी आगे इस मानसिक छाप की आवश्यकता उत्पन्न होती है, उसका पता लगाकर उसे जाग्रत मन के स्वाधीन करना अन्तर्मन के लिए सुलभ होता है। औत्सुक्य की कमी से ध्यान कम होगा, और ध्यान कम रहने से मानसिक छाप अस्पष्ट होगी तथा इस स्पष्टता की कमी से स्मरण की सुलभता भी नहीं रह सकेगी। संक्षेप में औत्सुक्य और ध्यान का जो परिमाण हो, वही मानसिक छाप की स्पष्टता का भी होता है। अतः स्मरणशक्ति का विकास करने का इच्छुक व्यक्ति को विशिष्ट वस्तु, व्यक्ति, विषय या घटना के प्रति उत्सुकता अपने मन में उत्पन्न करनी चाहिए और इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि अपना ध्यान उसी की ओर है। स्वाभाविक ढंग से यह न होता हो, तो इच्छाशक्ति के द्वारा करना चाहिए। उसके साथ ही इस कार्य के लिए मानसिक साहचर्य (ला आफ मेण्टल एसोसिएशन) नियम का भी उपयोग करना चाहिए। मन के भण्डार में एकाध बात अकेली रखने पर उसे ढूँढ़ निकालना कठिन हो जाता हैय परन्तु एक मानसिक छाप का, वैसी ही दूसरी छाप के साथ सादृश्य या वैधर्म्य ध्यान में रखकर मन ही मन उन्हें एकत्र लाकर, उनकी सदृश व विधर्मी छाप की किसी एक कड़ी का स्मरण होने पर अन्य कड़ियाँ भी अपने आप स्पष्ट होकर मन के सम्मुख उपस्थित हो जाती है। यह मानसिक साहचर्य विभिन्न छापों के परस्पर सादृश्य या वैधर्म्य पर आधारित होता है। इसी भाँति विभिन्न मानसिक छापों के अनुक्रमबद्ध परस्पर सान्निध्य का भी स्मरण के लिए उपयोग होता है।

एक विशिष्ट अनुक्रम से विभिन्न घटनाएँ अन्तर्मन में प्रथम प्रविष्ट की गयीं, तो आगे उनमें से किसी एक घटना का स्मरण होने पर क्रमबद्ध सान्निध्य से उस घटना के पीछे की व आगे की घटनाओं का अपने आप स्मरण होता है। मानसिक साहचर्य को अवसर प्राप्त हो, इसके लिए नवीन ग्रहण किये जाने वाले किसी भी मानसिक छाप का कहीं कुछ अन्य छापों से सादृश्य या वैधर्म्य मिलता है या नहीं, यह पता लगाना तथा ऐसा कुछ न रहने पर नये छाप को पूर्व अनुक्रमबद्ध हुए मानसिक छापों की श्रृंखला में या दूसरे किसी अकेले पड़े छाप के साथ क्रमबद्ध जोड़ लेने का मानसिक व्यायाम स्मरण शक्ति की क्षमता बढ़ाने के लिए अत्यधिक उपयोगी सिद्ध होगा। अर्थात् औत्सुक्य व ध्यान केन्द्रित करने की शक्ति बढ़ाकर, सभी सम्बन्धित बातों की सुस्पष्ट छाप अन्तर्मन पर स्थापित कर एवं परस्पर सादृश्य या वैधर्म्य अथवा क्रमबद्ध सान्निध्य के आधार पर मानसिक साहचर्य नियम के अनुसार प्रत्येक मानसिक छाप को अन्य पूर्व–संगृहीत छापों के साथ जोड़कर उनकी श्रृंखला बना लेने का अभ्यास प्रत्येक वक्ता को निरन्तर करते रहना चाहिए। साथ ही पूर्व–संगृही मानसिक छापों की कुछ तात्कालिक आवश्यकता न होने पर भी मानसिक व्यायाम के लिए बार–बार जाँच करते रहना स्मृति की तीव्रता बढ़ाने में उपयोगी होता है। स्मृति–विकास के कार्य में पुनरावृत्ति का महत्त्व विशेष है। अन्तर्मन में संचित छापों को बार–बार जाग्रत मन के सम्मुख लाकर उन्हें प्रस्तुत करते रहने से स्मृति बिल्कुल ताजी व सुस्पष्ट टिकी रहती है। एक ही समय अधिक बार इसकी पुनरावृत्ति न करते हुए बीच–बीच में मध्यान्तर के बाद उसे करते जाना चाहिए। यह सम्पूर्ण प्रक्रिया प्रारम्भ में थोड़ी कष्टप्रद प्रतीत होगीय पर एक बार मन को विवश करने पर धीरे–धीरे उसमें अभिरुचि बढ़ती जायेगी व स्मरण शक्ति बढ़ रही है, इस प्रकार का अनुभव होने पर आत्मविश्वास भी बढ़ेगा।

(आ) एक ओर जब स्मृति–विकसन के लिए प्रयत्न जारी हो, तो दूसरी ओर भाषण के लिए आवश्यक तथ्यों एवं

उद्धरणों को तैयार रखना उपयुक्त रहेगा। भाषण के विभिन्न तथ्यों को जिन कागजों पर लिखा हो, वे कागज सभा–स्थल पर ले जाने चाहिए। प्रत्यक्ष भाषण के अवसर पर उन्हें मेज पर न रखें। अपनी जेब में ही रहने देंय परन्तु उनका साथ रहना आत्मविश्वास को बढ़ाने में सहायक होता है। सम्भव है कि उनकी ओर देखने की आवश्यकता भी न पड़े। एकाध बार देखना भी पड़े, तो कोई बात नहींय परन्तु उन्हें हाथ में रखकर नहीं बोलना चाहिए। अपनी आँखें जिन कागजों को देखने की अभ्यस्त रही हों, वे ही प्रयोग में लाये जायें। विशेष रूप से नये कागज लाकर उन पर नहीं लिखना चाहिएय क्योंकि दृष्टि के लिए नये होने के कारण उनका त्वरित उपयोग नहीं हो पाता।

स्वर–संवर्द्धन

वक्तृत्व का प्रमुख आधार वाणी है। वह जितनी शुद्ध, सशक्त व अचूक होगी, उतना ही वक्तृत्व अधिक प्रभावी होगा, यह स्पष्ट है। इसके लिए स्वर–ज्ञान व स्वर–संवर्द्धन की साधना आवश्यक है। यह तो नहीं कहा जा सकता कि स्वर–शास्त्र की जितनी जानकारी एक गायक को होती है, उतनी ही प्रत्येक वक्ता को रहनी चाहिएय पर फिर भी उस सम्बन्ध में प्राथमिक ज्ञान भी न रहा, तो वक्ता को प्रभावी भाषण देने में कठिनाई अनुभव हुए विना नहीं रहेगी।

उच्चारण

उच्चारण की सुस्पष्टता, विभिन्न उतार–चढ़ावों का सम्यक् ज्ञान, आदि प्राथमिक जानकारी हर वक्ता के लिए आवश्यक है। अन्य सभी दृष्टियों से भाषण उत्कृष्ट होने पर भी यदि वक्ता अथ से इति तक एक ही स्वर में बोलता गया, तो एक प्रकार का नीरस वातावरण उत्पन्न होकर श्रोता को उबा देता है। उसका चित्त भाषण की ओर नहीं खिंच पाता। उलटे ऐसे भाषणों का परिणाम थोड़ी–बहुत मात्रा में लोरी के समान होता है। यदि भाषण में शब्दोच्चार अस्पष्ट, शिथिल व लापरवाही से किये गये तो भी सुनने वाले को अच्छा नहीं लगता। उलटे उच्चारण सुस्पष्ट, ठोस रहे तो श्रोता भी प्रसन्नता अनुभव करता है। यदि वक्ता इतनी धीमी आवाज में बोलता रहे कि श्रोताओं को अपनी श्रवण–शक्ति पर दबाव डालना पड़े, तो प्रतिपादित विषय अच्छा होने पर भी श्रोता ऊब जायेगा। कर्णकटु तीखी आवाज में दिया गया भाषण भी श्रवण–शक्ति पर एक अलग प्रकार का आघात कर नीरसता उत्पन्न करता है। आजकल यह माना जाता है कि सभा–स्थान या सभागृह के अन्त में बैठे श्रोता को भी सहज सुनायी दे, पर कर्कश न हो, इस ढंग से सहज रूप से बोलना चाहिए। अधिक ऊँची आवाज श्रोता के मन में कटुता उत्पन्न करेगी व धीमी आवाज समूह के अन्त में बैठे लोगों में उदासीनता निर्मित करेगी।

भाषण में विचारों के प्रवाह के अनुकूल ही स्वर होना चाहिएय कोई विशेष शब्द या भाव श्रोताओं के सम्मुख अधिक प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करते समय उस शब्द या भाव को थोड़ा रुककर प्रभावपूर्ण ढंग से प्रकट करना चाहिए। पर साथ ही यह ध्यान रखना होगा कि आवश्यक शब्द या शब्द समुच्चय पर ही बल दिया जाये और वह भी जितना आवश्यक है, उतनी ही मात्रा में। जिस शब्द से विचारों का नया मोड़ व्यक्त होता हो, तुलना दर्शायी जा रही हो, किसी एक विषय की सर्वप्रमुख कल्पना प्रकट होती हो, दो वाक्यांश, वाक्य या विचार जोड़े जाते हों या भेद अथवा विरोध उत्कटता के साथ दिखाने के लिए परस्पर विरोधी गुणों का एकत्र प्रकटीकरण होता हो, ऐसे शब्दों का उच्चारण बल देकर करना चाहिए।

विचार–भावों को मूर्तरूप देने के लिए स्वरों के आरोह–अवरोह का उत्तम उपयोग होता है। अर्थात् विचार–भावों की विविधता को ध्यान में रखते हुए इस सम्बन्ध में सर्वांगपूर्ण नियमावली प्रस्तुत करना व्यावहारिक नहीं होगाय परन्तु इतना सत्य है कि दूसरे लोगों के भाषणों के सूक्ष्म निरीक्षण तथा स्वयं के अनुभवों को परखने व आरोह–अवरोह के मनोविज्ञान से यह क्रमशः ज्ञात हो जायेगा। स्वरों के आरोह–अवरोह, विभिन्न स्तर एवं विभिन्न वाक्यों का निरन्तर अभ्यास करना प्रत्येक वक्ता के लिए आवश्यक है। किस बात का कहाँ, कितना तथा कैसे उपयोग किया जाये, यह तो अनुभव से ज्ञात होता हैय परन्तु उपयुक्त समय पर उसके उपयोग करने की क्षमता वक्ता की आवाज में रहनी आवश्यक है। स्वर–संवर्द्धन के लिए ये सारी बातें ध्यान में रखकर प्रतिदिन नियमित रूप से ऊँचे स्वर से वाचन करना उपयुक्त होगा।

आवाज प्रखर (बुलन्द) करने के लिए निरन्तर अभ्यास के साथ ही उत्तम स्वास्थ्य की, विशेषतया स्वस्थ फेफड़ों की आवश्यकता होती है। इस दृष्टि से सतर्कता बरतकर, उसके लिए थोड़ा सा ही क्यों न होय पर व्यायाम नियमित रूप से करते रहना स्वर–संवर्द्धन के कार्य का एक अनिवार्य अंग माना जाना चाहिए। व्यायाम के साथ दीर्घ श्वसन क्रिया भी लाभदायक होगी।

To be contained-----

कार्यकर्ता

– मा. गो. वैद्य

संघ की संपूर्ण रचना में कार्यकर्ता का सर्वाधिक महत्व है। संघ की शक्ति तथा प्रतिष्ठा संघ के कार्यकर्ताओं के कारण ही है। मा. दत्तोपंत के विवेचन में इसी मुद्दे को प्रधानता है। इस पुस्तक के २७२ पृष्ठों में से १२८ पृष्ठ 'कार्यकर्ता' के हेतु दिये गए हैं। क्योंकि 'कार्यकर्ता ही अपने कार्य का माध्यम है और आधार भी है, ऐसा हम मानते है।' अपेक्षित गुणों से युक्त कार्यकर्ता का निर्माण हो, इसी हेतु से संघ की कार्यपद्धति का निर्माण हुआ है। संघ ने कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिये विद्यालय नहीं खोले। न उस हेतु पुस्तकें लिखीं। किन्तु 'कार्यपद्धति का ढाँचा ही ऐसा बनाया गया है कि कार्यकर्ता स्वयं, न जानते हुए भी विकसित हो जाता है।' सबसे अच्छी शिक्षाप्रणाली कौन सी, ऐसा मुझसे कोई प्रश्न करेगा तो मेरा उत्तर रहेगा कि जिस शिक्षाप्रणाली में विद्यार्थी को ऐसा नहीं लगता कि कोई हमें जबरदस्ती सिखा रहा है, और फिर भी उसे शिक्षा प्राप्त होती है, वह प्रणाली सर्वोत्तम। देशभक्तिशून्य, जातिभेदग्रस्त, स्वार्थपरायण हिन्दु समाज को डॉक्टर हेडगेवार यदि ऐसा आह्वान करते कि, हिन्दुओं, आप में इतने दोष हैं, आइये हमारी शाखा में, मैं आपके दोष हटाकर, आपको देशभक्तिपरिपूर्ण, समतायुक्त और निःस्वार्थ सेवक के रूप में परिवर्तित करने का दावा करता हूँ तो एक भी व्यक्ति संघस्थान पर कदम नहीं रखता। उलटा उलाहना देता कि भले आए हमें देशभक्ति और निःस्वार्थ सेवाभाव सिखाने वाले। डॉक्टर हेडगेवार समाज का यह मानस शास्त्र जानते थे। अतः उन्होंने लोगों को खेलने के लिये बुलाया। दण्डादि शारीरिक कार्यक्रम करने की शिक्षा दी। और इन कार्यक्रमों की तथा कुल वातावरण की ऐसी रचना की कि, संघ के इन सामान्य कार्यक्रमों से देवदुर्लभ कार्यकर्ता तैयार हुए। एक बार प. पू. गुरुजी को सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पूछा कि जो साहस का कार्य करने के लिये हमारे पेशेवर सैनिक भी कतराते हैं, वह आपके स्वयंसेवक कैसे कर जाते हैं, आप उन्हें कौन सी शिक्षा (Training) देते हैंय तो श्रीगुरुजी ने उत्तर दिया, 'हमारी कबड्डी से यह साहस आता है,' संघ की कार्यपद्धति की विशेषता यह है कि 'मेन विथ कैपिटल एम्श' बन जाता है।

अपने विस्तृत विवेचन में दत्तोपंत कार्यकर्ता के अनेकानेक गुणों की तथा– खतरों की, बड़ी मूलगामी और व्यापक चर्चा करते हैं। यह चर्चा इतनी गहन और सभी संगठनों के लिये हितप्रद है कि, सभी ने उसको अवधानपूर्वक पढ़ना चाहिये और उस पर मनन करना चाहिये ।

किसी भी कार्य की सही पहचान, सिद्धान्त (Philosophy) से या कार्यपद्धति (Methodology) से नहीं होती। वह कार्यकर्ता से होती है। श्री ठेंगडी, एकनाथ जी रानडे को उद्धृत करते हैं। एकनाथ जी ने कहा, 'कार्य और कार्यकर्ता इनमें इतना अनिवार्य संबंध है कि मैं यदि किसी कार्यकर्ता को देख लेता हूँ उसके स्वभाव, गुणदोष आदि पूरी तरह समझ लेता हूँ तो फिर उसके कार्यक्षेत्र में न जाते हुए भी कार्यक्षेत्र का पूरा पता चलता है।' श्री ठेंगडी लालटेन की काँच का उदाहरण देते हैं, 'काँच लगने से पवन का झोंका आ गया तो भी वह ज्योति बुझेगी नहीं। हमको अच्छा प्रकाश मिलता है। इस काँच में से हम ज्योति को भी देख सकते हैं। लेकिन काँच पर यदि धूल जम गई तो न प्रकाश अच्छी तरह से बाहर आएगा न हम ज्योति को देख सकेंगे । कार्यकर्ता भी काँच के जैसा निष्कलंक और पारदर्शी होना चाहिये।' संघ के संस्कारों के कारण ध्येय प्राप्ति की तीव्र इच्छा स्वयंसेवकों के मन में पैदा होती है और परिणामस्वरूप अपने निजी जीवन के बारे में वह निर्णय करता है कि हम इस कार्य में जुट जायेंगे। कार्यकर्ता का यह निजी आंतरिक संगठन ठीक बन गया कि फिर वह पीछे नहीं देखता, निराश नहीं होता, वह आगे ही बढ़ता है।

कोई प्रश्न पूछेगा कि, कार्यकर्ता ने हमेशा दूसरों के, समाज के हित की ही चिंता क्यों करनी चाहिये? ठेंगडी जी का उत्तर है The best should suffer so that the rest may prosper-

कार्यकर्ता के लिये आत्मविश्वास सबसे महत्त्व का गुण है। ध्येय के साथ एकात्म होने से आत्मविश्वास निर्माण होता है। और आत्मविश्वास मन को प्रभावित करने लगा कि मनुष्य संकटों में भी अडिग रहता है। दत्तोपंत ने मुद्राराक्षस नाटक में आर्य चाणक्य की एक उक्ति का जो उद्धरण दिया है, वह एकदम सही है। अनेक लोग चाणक्य को छोड कर चले गए, किन्तु चाणक्य निराश नहीं हुए। बोले,

'एका केवलमर्थसाधनविधौ, सेनाशतेभ्योधिका ।
नन्दोन्मूलन दृष्टवीर्यमहिमा बुद्धिस्तु मा गान्मम ।।

सैकड़ों सैन्य दलों से भी बढकर जो मेरी बुद्धि है और जिसकी महिमा नन्दों के साम्राज्य को समाप्त करने के समय लोगों ने देखी है, वह मेरी बुद्धि केवल न जाए। पहले महायुद्ध में एक छोटे फ्रेंच सेना अधिकारी की हिम्मत का उदाहरण ठेंगडी जी ने दिया। उस अधिकारी ने सेनापति को संदेश भेजा कि My right recedes My center gives way- Situation is eÛcellent] I shall attack- 'मेरी दाहिनी बाजू पीछे हट गई है, मध्य बाजू टूट गई है। परिस्थिति बहुत अच्छी है। मैं प्रत्याक्रमण करूँगा।' इस संदर्भमें ठेंगडी जी ने गुरु गोविंदसिंह, नेपोलियन, जनरल दि गॉल, बाजीप्रभु, रोमन वीर हेटेशियस के जीवन के ऐसे प्रसंग वर्णित किये हैं कि पढ़ने वालों के दिल भी पराक्रम से परिपूर्ण हो जाएँगे ।

किसी भी बड़े कार्य का प्रारम्भ छोटा ही रहता है। श्री दत्तोपंत बताते हैं कि उनतीस हजार फीट ऊँचे एवरेस्ट पर पहुँचने की कोशिश करने वालों का पहला कदम उन्तीस इंच का ही होता है। वह चलता है, बढ़ता है और अंततः शिखर पर पहुँचता है। कार्यकर्ता को यह बात सदैव ध्यान में रखनी चाहिए। इसी कार्यकर्ता को ठेंगडी जी ने व्यवहारी आदर्शवादी (Practical idealist) कहा है। हम देखते हैं कि अनेक आदर्शवादी केवल ऊंची–ऊंची उड़ानें भरते हैं। जमीन पर क्या है यह उनकी आँखों से ओझल होता है। और ज्यादा व्यवहारी लोग केवल जमीन की स्थिति में ही उलझ जाते हैं। क्या है इसकी चिन्ता में वे इतना डूब जाते हैं कि, जो नहीं है किन्तु होना चाहिये, इसका विचार ही उनके मन में आता नहीं। ऐसे एकांगी सोचने वाले को बुद्धिमान नहीं कहा जा सकता। यहाँ मुझे अंग्रेज कवि वर्डस्वर्थ की स्काईलार्क कविता का स्मरण होता है। कवि, स्काईलार्क पक्षी को बुद्धिमत्ता का नमूना मानता है। क्यों? कवि की पंक्तियाँ हैं –

"Type of the wise who soar but never roam
True to the kindred points of heaven and home-"

स्काईलार्क खूब ऊँचा उड़ता है, किन्तु भटकता नहीं। स्वर्ग और धरा दोनों पर उसकी समान निगाह रहती है।

कार्यकर्ता में आत्मविश्वास से क्या अहंकार निर्माण नहीं होगा? यह खतरा अवश्य है। दत्तोपंत इसका उपाय बताते हैं, ष्अपने कार्य के प्रति जो प्रतिबद्धता होती है, उससे व्यक्तिगत अहंकार को वह ध्येयनिष्ठ आत्मविश्वास में परिवर्तित करता है और यह परिवर्तन कार्यकर्ता की विकास प्रक्रिया में महत्वपूर्ण अवस्था होती है। दत्तोपंत की इस चिकित्सा से कौन असहमत होगा ।

ध्येयनिष्ठ कार्यकर्ता का ध्यान अपने लक्ष्य पर ही केन्द्रित रहना चाहिए इसमें शक नहीं। किन्तु क्या इसमें आजूबाजू की परिस्थिति का भान नहीं छूटेगा? क्या यह एकांगी नहीं होगा? ठेंगडी जी कहते हैं कि ऐसा होने की आवश्यकता नहीं है। सब तरफ उसका ध्यान रहे किन्तु उसकी एकाग्रता लक्ष्य पर ही रहे। अत्यन्त मार्मिक शब्दों का उपयोग कर वे बताते हैं कि "Many dimensional vision gksdj Hkh Single point concentration होना चाहिये।'' क्या व्यक्ति का बड़प्पन पद पर निर्भर होता है? कई मानते हैं कि, हाँ, स्थान से कीमत बनती है। संख्या ११११ में चारों स्थानों पर 'एक' यही अंक है, किन्तु स्थानभेद के कारण, उसके मूल्य में अंतर आया है। पहले 'एक' की कीमत एक हजार है, तो अंतिम 'एक' की कीमत केवल एक है। किन्तु दत्तोपंत को यह मूल्यांकन मान्य नहीं। वे बताते हैं 'प्रासाद शिखरस्थोऽपि काको न गरुडायते'– ऊँचे महल पर बैठा कौआ, गरुड़ नहीं बनता, और आगे कहते हैं कि 'केवल पद या स्थान पर बड़प्पन नहीं। बड़प्पन कुछ आंतरिक या यथार्थ मूल्य होता है, ऐसी हमारी धारणा है।' संघ में नेतृत्व की अवधारणा प्रशासनिक या संवैधानिक नहीं बल्कि नैतिक है।

नैतिक नेतृत्व, हार–जीत की परवाह नहीं करता, यह बताते हुए उन्होंने पं. दीनदयाल उपाध्याय और डॉ. आंबेडकर के उदाहरण प्रस्तुत किये हैं।

कार्यकर्ता ने निरन्तर आत्मपरीक्षण करते रहना चाहिये तथा विनम्र भाव से उसका व्यवहार होना चाहिये । कर्तृत्व होते हुए भी विनम्र भाव रहा तो, वह नम्रता व्यक्ति की ऊँचाई बढ़ाती है। भर्तृहरि का वचन सुप्रसिद्ध है। नम्रत्वेनोन्नमन्तः परगुणकथनैः स्वान् गुणान ख्यापयन्तः (नीतिशतक ६०) याने नम्रता से वे ऊँचे होते हैं और दूसरों के गुणों का वर्णन कर अपने गुणों को प्रकट करते हैं। कार्यकर्ता समर्पित भाव धारण

तो करता है। वह उसका भूषण है। किन्तु समर्पण का भी अहंकार उत्पन्न हो सकता है। उससे सावधान रहने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में वे अपना ही उदाहरण प्रस्तुत करते हैं ।और उसमें परिवर्तन कैसे आया यह बताते हैं। प.पू. गुरुजी अनेक दिन, ठेंगडी जी का बिस्तर स्वयं कैसे उठाकर रखते थे और उन्होंने ना कभी इसका उल्हाना दिया और न अपने काम में रुकावट डाली इसकी कथा बड़ी मार्गदर्शक है। इसी संदर्भ में वे लोकमान्य तिलक, महात्मा गाँधी, मोहम्मद पैगंबर साहब, डॉ. हेडगेवार, दीनदयाल उपाध्याय आदि के सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। विनम्रता की सीमा इतनी बढ़नी चाहिये कि वह कार्यकर्ता आत्मलोप की सीमा तक पहुँच जाय। ठेंगडी जी कहते हैं 'निरहंकारी ध्येयनिष्ठा से संपूर्ण आत्मलोप करनेवाला कार्यकर्ता ही, लोगों को पता न लगते हुए स्वाभाविक रुप से उनका नेतृत्व संपादन कर सकता है।'

समाज का सच्चा नेता, योग्यता और क्षमता होते हुए भी समाज से ज्यादा दूर नहीं होता । वह इतनी ही दूरी रखता है कि समाज को ऐसा लगे कि हम उसकी बराबरी कर सकते हैं। बालासाहेब देवरस ने डॉ. हेडगेवार के बारे में यह कहा था कि, हमें हमेशा ऐसा ही लगता था कि डॉक्टर जी हमसे केवल दो कदम आगे हैं। हम उनकी पंक्ति में आने के लिये अपना वेग बढ़ाते और उस स्थान पर पहुँचते तो ध्यान में आता था कि डॉक्टर जी और दो कदम आगे हैं। दत्तोपंत इस मुद्दे पर सन्त ज्ञानेश्वर महाराज की एक ओवी प्रस्तुत करते हैं मार्गाधारे वर्तावे। विश्व हे मोहरे लावावे। अलौकिक नोहावे। लोकांप्रती।। धीरे–धीरे कार्यकर्ता का कद बढ़ता है। उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। सुख के साधन उपलब्ध होते हैं। कुछ लोग जानबूझ कर ऐसे साधनों को ला देते हैं। फिर उन साधनों का ही लालच निर्माण होता है। ऋषियों की तपस्या में बाधा डालने के इन्द्रदेव के हथकंडे सर्वविदित हैं। अतः, कार्यकर्ता ने, साधनों की विपुलता से संभवनीय स्खलन से बचना चाहिये। पं. द्वारकाप्रसाद मिश्र ने ठेंगडी जी को बताया था कि, किसी संस्था को अधः पतित करने का उपाय है, वहाँ सुखपरस्त कार्यकर्ता (Comfort loving cadre) और प्रतिष्ठाग्रस्त नेता (Status conscious leaders) निर्माण करना। ठेंगड़ी जी चेतावनी देते हैं कि कार्यकर्ताओं में कार्य के विकास के कारण प्राप्त होने वाली सुविधाओं में निहित हितसंबंध निर्माण होते हैं और वे व्यवस्थाएँ वैसी ही बनी रहने में भी हितसंबंध निर्माण होते हैं। वास्तव में ऐसी सभी व्यवस्थाओं का तथा सुविधाओं का अपने कार्यवृद्धि के लिये उपयोग करते समय भी न उसके प्रसंगवशात् अभाव के कारण मजबूरी निर्माण होनी चाहिये, न तो उन सुविधाओं का मोह भी होना चाहिये ।अगर यह नहीं हुआ तो, एक तो प्राप्त हुए पद के अहंकार के कारण, या सुविधाओं के मोह के कारण, प्रमुख कार्यकर्ता अपना स्थान बनाए रखने के लिये चतुराई के प्रयोग करता है।

इस पर और अधिक टिप्पणी की आवश्यकता नहीं। माननीय दत्तोपंत प्रदीर्घ काल से कार्यकर्ता रहे हैं। उनके अनुभवों का निचोड़ इस पूरे प्रकरण में है। वह मूल में ही पढ़ना चाहिये। मुझे तो यह संपूर्ण पुस्तक, एक उपनिषद् की भाँति, प्रत्यक्ष अनुभूति से प्राप्त मौलिक ज्ञान से ओतप्रोत लगती है। हाँ, उपनिषद् । संघोपनिषद् ।

❐

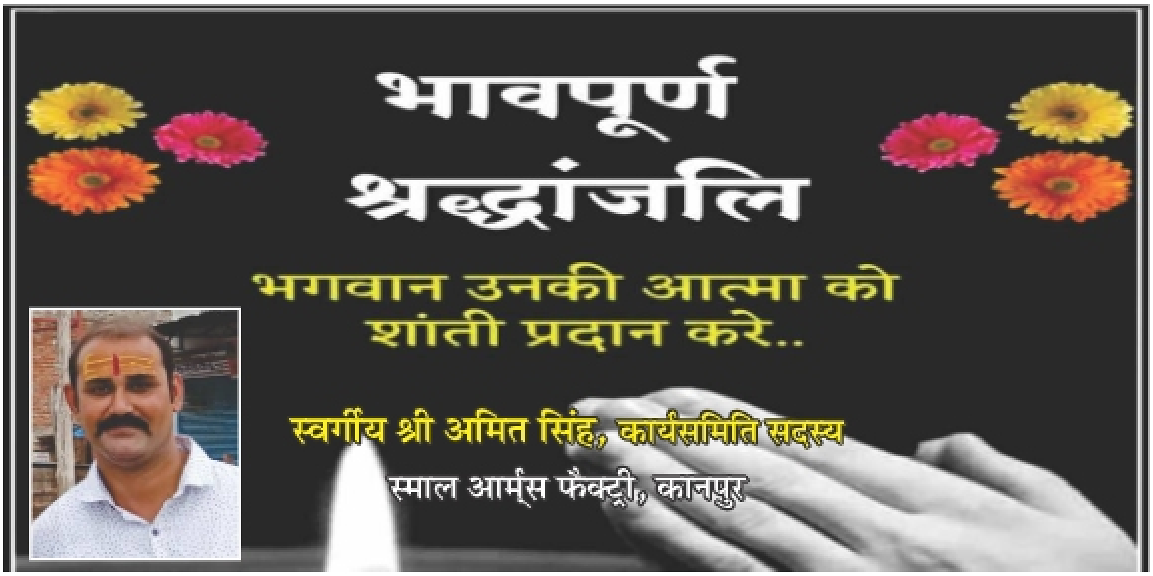

भावपूर्ण

श्रद्धांजलि

भगवान उनकी आत्मा को
शांती प्रदान करे..

स्वर्गीय श्री अमित सिंह, कार्यसमिति सदस्य
स्माल आर्म्स फैक्ट्री, कानपुर

HIS LEGACY: OUR MISSION

By -'Pandit Deendayal Upadhyaya'!

It is no longer the name of an individual.It symbolises a tendency, a trend of thought, an ideo-logy, a Darshana. This Darshana has been the basis of our national renaiss-ance in the past. This alone can be the basis of our national renaissance in future. To spell it out in the context of the present, is the real homage to the departed soul.

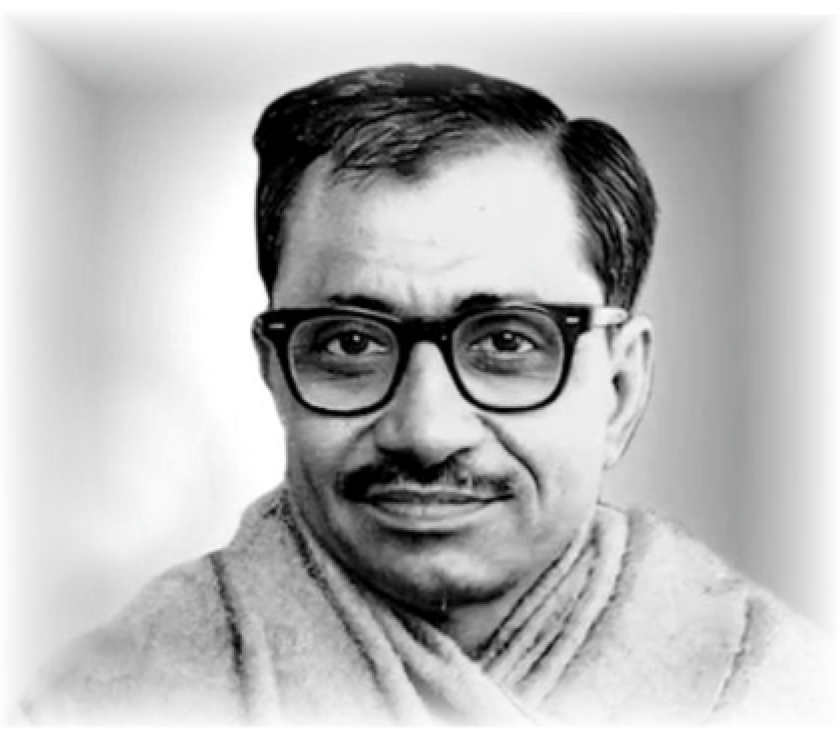

**On August 15, 1947, there was transfer of power accompanied by the partition of the motherland. But can it be said that even this truncated country attained Swaraj in the real sense of the term?

Yogi Arobindo voiced the conviction of all true Indians when he observed, "Swaraj as a sort of European ideal, political liberty for the sake of political assertion, will not awaken India. Swaraj as the fulfilment of ancient life of India under modern conditions, the return of satyagraha of national great-ness, the resumption by her of the great role of teacher and guide, self liberation of the people for the final fulfilment of vedantic ideal in politics, this is true Swaraj of India".

How far we have advanced in this direction during the last twenty-three years? It may be argued that 'the pressure of dominant European ideas and motives, the temptations of political needs of the hour, the velocity of rapid inevitable change' left 'no time for the growth of sound thought and spiritual reflection', strained 'to bursting point the old Indian culture and social system', and shattered 'this ancient civilisation before India has had time to readjust her mental stand and outlook or to reject, remould the forms that can no longer meet her environmental necessities, create new characteristic powers and figures and find a firm basis for a swift evolution in the sense of her own spirit and ideals'. But in that event, our sages have rightly apprehended that "a rationalised and westernised India, a brown ape of Europe, might emerge from the chaos keeping some element only of her ancient thought, to modify, but no longer to shape and govern her total exist-ence. Like other countries she would have passed into the mould of occidental modernism; ancient India would have perished.

"The bewildered East is trying to imitate blindly the still more perplexed West. No thought-system evolved by the West has succeeded so far in achieving its professed objectives. No "ism" could organise a socio-economic order of its own dreams. With passage of time, the so-called radical "isms" are being converted into out-of-date "wasms". None of them can claim to be a panacea their arrogant professions notwithstanding. Our adherence to the Western ideo-logies is a case of the blind led by the blind.

**Pandit ji was a seer A Drashta. He located and dia-gnosed the maladies of the humanity. Their solution was his life-mission. *To-day the mankind is confronted with a number of basic and baffling problems. For example: How to reconcile Individual liberty with social discipline; Incentive for individual development with urge for equality; Economic growth with social justice; Basic organic unity with apparent diversities; State authority with industrial and civic self-governments;System with spontaneity; Social order with statelessness; Self-restraint with self-unfoldment;Rationalism with consciousness of the office and limitations of Reason; Specialisation with integrated view; Material advance with spiritual elevation; National self-reliance with international cooperation; And, again, How to ensure Liberty without licentiousness; Discipline without regimentation; Status without privileges; Unity without uniformity; Stability without stagnation; Dynamism without adventurism; State authority without Stateism; Technological advance without loss of humaneness; Material prosperity without crude 'materialism';Vertical arrangement of societies without their horizontal division; Humanism without homo-centricism.On national plane too there are a number of urgent and challenging problems. For example: How to reconcile Expansion of employment opportunities with up-to-date modern technology; De centralised processes of production with increase in productivity; Nationalisation with public accountability; Pace of urbanisation with cultural background, Micro-planning at lower levels with macro-planning at national level; Integration of various natural groups with the preservation of their distinct group characteristics; Bharatiya values of Life with the modern scientific and technological advance; Demands of the modern age with the Sanatana ideals of Dharma.

How to achieve

Evolution of the World State enriched by the growth and contribution of different national cultures; and Evolution of Manava Dharma enriched by the prefection of all the religions including 'materialism'.

*Needless to add that this enumeration is illustrative, not ex-haustive. Reconstruction and research go invariably together. Research intensive as well as extensive in all depart-ments of national and international life!

**Pandit ji was convinced that these basic problems cannot be solved except on the basis of Bharatiyatva.

To work out these solutions for the benefit of the nation and the mankind in the light of the guidelines furnished by him is the mission passed on to us by Pandit ji as his legacy.

(Organiser 5-2-69)

❒

Ministry of Finance

CBDT extends date of filing of Income Tax Returns (ITRs) due for filing by 31st July 2025 to 15th September 2025

Posted On: 27 MAY 2025 6:13PM by PIB Delhi

In view of the extensive changes introduced in the notified Income Tax Returns (ITRs) and considering the time required for system readiness and rollout of ITR utilities for Assessment Year (AY) 2025-26, the Central Board of Direct Taxes (CBDT) has decided to extend the due date for filing returns.

Accordingly, to facilitate a smooth and convenient filing experience for taxpayers, it has been decided that the due date for filing of ITRs, originally due on 31st July, 2025, is extended to 15th September, 2025. A formal notification to this effect is being issued separately.

The notified ITRs for AY 2025-26 have undergone structural and content revisions aimed at simplifying compliance, enhancing transparency, and enabling accurate reporting. These changes have necessitated additional time for system development, integration, and testing of the corresponding utilities. Furthermore, credits arising from TDS statements, due for filing by 31st May, 2025, are expected to begin reflecting in early June, limiting the effective window for return filing in the absence of such extension.

This extension is expected to mitigate the concerns raised by stakeholders and provide adequate time for compliance, thereby ensuring the integrity and accuracy of the return filing process.

❒

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.–डी.एल.–अ.–24052025–263355
आसाधरण
भाग II– खण्ड 3– उप–खण्ड (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 23, 2025/ ज्येष्ठ 2, 1947

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 मई, 2025

सा.का.नि. 340 (अ). – राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 और अनुच्छेद 148 के खंड(5) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों के संबंध में भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से परामर्श करने के पश्चात, केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.–

(1) इन नियमों का नाम केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) संशोधन नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021, में नियम 37 के उप–नियम (29) में, खंड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:–

''(ग) किसी कर्मचारी के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में आमेलन के पश्चात् किसी उत्तरवर्ती कदाचार के लिए ऐसे उपक्रम की सेवा से पदच्युत किए जाने या हटाए जाने पर, सरकार के अधीन की गई सेवा के लिए सेवानिवृत्ति हितलाभों का समपहण भी होगा और उसकी पदच्युति या हटाए जाने या छंटनी होने की दशा में, उपक्रम के निर्णय उपक्रम से संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय के पुनर्विलोकन के अध्यधीन होंगे।

स्पष्टीकरण.– इस उप–नियम के प्रयोजनों के लिए, नियम 41 के साथ पठित नियम 7 और 8 तथा नियम 44 के उप– नियम (5) के सभी सुसंगत उपबंध उसी प्रकार लागू होंगे जैसे इन नियमों के अधीन किसी सरकारी सेवक को लागू होते हैं।''

(फा.सं. 04/17/2023–पीएंडपीडब्ल्यू(डी), ध्रुवज्योति सेनगुप्ता, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र असाधारण, भाग–II, खंड–3 उप–खंड (प) में संख्यांक सा.का.नि 868(अ) तारीख 20 दिसंबर, 2021 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

❑

CG-DL-E-24052025-263355
EXTRAORDINARY
PART II-Section 3-Sub&section (i)
PUBLISHED BY AUTHORITY
New Delhi, Friday, May 23, 2025/ Jyaistha 2, 1947

Ministry Of Personnel, Public Grievances And Pensions

(Department Of Pension And Pensioners' Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd May, 2025

G-S-R- 340(E)- In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 and clause (5) of article 148 of the Constitution and after consultation with the Comptroller and Auditor&General of India in relation to persons serving in the Indian Audit and Accounts Department] the President hereby makes the following rules further to amend the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021, namely:-

1. Short title and commencement-
   (1) These rules may be called the Central Civil Services (Pension) Amendment Rules, 2025.
   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021, inrule 37, in sub-rule (29), for clause (c), the following shall be substituted, namely:-

"(c) the dismissal or removal from service of the public sector undertaking of any employee after his absorption in such undertaking for any subsequent misconduct shall lead to forfeiture of the retirement benefits for the service rendered under the Government also and in the event of his dismissal or removal or retrenchment the decision of the undertaking shall be subject to review by the Ministry administratively concerned with the undertaking.

Explanation - For the purposes of this sub-rule, the relevant provisions of rules 7 and 8 read with rule 41and sub-rule (5) of rule 44shall be applicable analogous as it is applicable to a Government servant under these rules."

[F. No. 04/17/2023&P&PW(D)] DHRUBAJYOTI SENGUPTA, Jt.Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G-S-R- 868(E), dated the 20th December, 2021.

❑

Government ORDERS

No. 19/116/2024-Pers.Pol. (Pay) (Pt), Government of India, Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions, Department of Personnel & Training, New Delhi, dated 20th May, 2025

OFFICE MEMORANDUM

Subject : Grant of notional increment on 1st July / 1st January to the employees who retired from Central Govt. service on 30th June / 31st December respectively for the purpose of calculating their pensionary benefits - regarding.

The undersigned is directed to invite reference to the instructions issued vide this Department's OM of even number dated 14.10.2024 (copy enclosed) regarding grant of 'notional increment' on 1st July/1st January to the Central Government employees who retired/are retiring from service a day before it became due i.e. on 30th June/31st December and have rendered the requisite qualifying service as on the date of their superannuation with satisfactory work and good conduct for calculating the pension admissible to them. The said instructions were issued in compliance of the Interim Order dated 06.09.2024 passed by the Hon'ble Supreme Court while hearing MA No.2400/2024 filed by M/o Railways along with several Intervention Applications tagged therewith. It was indicated therein that the action taken shall be subject to the final outcome of the petition (Dy. No. 36418/2024) filed by this Department seeking review of the Order dated 11.04.2023 of the Hon'ble Supreme Court in CA No. 2471/2023 on the subject matter.

2. Hon'ble Supreme Court, vide Order dated 18.12.2024, had dismissed the Review Petition (Dy. No. 36418/2024) filed by this Department with the observation that there is no error apparent on the face of the record, warranting reconsideration of the order impugned.

3. Hon'ble Supreme Court has subsequently disposed of MA No. 2400/2024 filed by M/o Railways and other petitions vide Order dated 20.02.2025 while issuing the following final directions in the matter:

a. The judgment dated 11.04.2023 will be given effect to in case of third parties from the date of the judgment, that is, the pension by taking into account one increment will be payable on and after 01.05.2023. Enhanced pension for the period prior to 30.04.2023 (erroneously mentioned as 31.04.2023 in the Order) will not be paid;

b. For persons who have filed writ petitions and succeeded, the directions given in the said judgment will operate as res judicata, and accordingly, an enhanced pension by taking one increment would have to be paid;

c. The direction in (b) will not apply, where the judgment has not attained finality, and cases where an appeal has been preferred, or if filed, is entertained by the appellate court;

d. In case any retired employee filed an application for intervention/impleadment/writ petition/ original application before the Central Administrative Tribunal/High Courts/Supreme Court, the enhanced pension by including one increment will be payable for the period of three years prior to the month in which the application for intervention/impleadment/ writ petition/ original application was filed.

4. The Hon'ble Supreme Court has decided that the direction referred at Para 3(d) above will not apply to the retired government employee who filed a writ petition/original application or an application for intervention before the Central Administrative Tribunal/High Courts/Supreme Court after the judgment in "Union of India & Anr. Vs M. Siddaraj", as in such cases directions referred in Para 3(a) will apply.cases directions referred in Para 3(a) will apply.

5. In addition, Hon'ble Supreme Court has clarified that in case any excess payment has already been made, including arrears, such amount paid will not be recovered. Court has decided that pending applications including all intervention/impleadment applications shall stand disposed of in terms of this order.

6. The matter has been examined in consultation with D/o Expenditure and D/o Legal Affairs. It is advised that in pursuance of the above referred Order dated 20.02.2025 of the Hon'ble Supreme Court, action may be taken to allow the increment on 1st July/1st January to the Central Government employees who retired/are retiring a day before it became due i.e. on 30th June / 31st December and have rendered the requisite qualifying service as on the date of their superannuation with satisfactory work and good conduct for calculating the pension admissible to them. As specifically mentioned in the orders of the Hon'ble Supreme Court,

grant of the notional increment on 1st January / 1st July shall be reckoned only for the purpose of calculating the pension admissible and not for the purpose of calculation of other pensionary benefits.

7. This issues with the concurrence of D/o Expenditure vide their Dy. No. 08-09/2019-E.IIIA(Vol.III) (4265134) dated 29.04.2025 and D/o Legal Affairs vide Computer Dy. No. E-144903 dated 17.03.2025.

8. Hindi Version will follow. ❐

D-12011/19/2018-ADMIN-CPC, Government of India, Ministry of Chemicals & Fertilizers, Department of Chemicals and Petrochemicals, New Delhi, dated 20-05-25

CIRCULAR

Subject : Revised guidelines for Referral Process in CGHS

It has been observed, while processing Medical Reimbursement Claims (MRC) of CGHS and CS(MA) beneficiaries working in this office, that the prescribed guidelines issued by the Ministry of Health & Family Welfare for seeking consultation and treatment in private hospitals empanelled under CGHS are not being strictly followed.

2. All CGHS and CS(MA) beneficiaries of the Department are hereby directed to adhere to the revised guidelines issued by the Ministry of Health & Family Welfare, vide OM No. Z15025/19/2024/DIR/CGHS/EHS (Comp No. 8281286) dated 28.06.2024 (copy enclosed), for seeking consultation and treatment in CGHS-empanelled private hospitals.

3. Also, vide OM No. Z15025/19/2024/DIR/CGHS /EHS dated 28.06.2024, no further endorsement from CGHS is required for the tests/investigations not exceeding Rs.3000/-. However, referral/endorsement is required for special investigations such as; CT Scan, PET Scan and MRI Scan and any other investigation costing over Rs. 3000/-

4. It is further informed that post facto approval shall not be granted for treatment/investigations carried out in the OPD of CGHS-empanelled or non-empanelled hospitals by CGHS beneficiaries without a valid referral/endorsement from a CGHS Wellness Centre. Similarly, CS(MA) beneficiaries who undergo treatment/investigations in OPD based on referral from the Authorized Medical Attendant (AMA) must obtain prior permission from the office; otherwise, reimbursement shall not be considered.

5. Prior permission from the Department is mandatory for undergoing CGHS unlisted procedures/tests, except in cases of emergency. In emergency cases, post-facto approval must be applied for within one month from the date of completion of treatment. Applications submitted after one month will not be entertained.

6. It may be noted that under no circumstances, the cost of OPD medicines will be reimbursed by the Department. OPD medicines must be obtained from the designated CGHS Wellness Centre. For emergency cases; a proper endorsement with official stamp from the attending physician must be provided, clearly indicating the case as an emergency

7. All CGHS and CS (MA) beneficiaries are advised to stay updated with the latest guidelines/ provisions related to treatment and investigations issued by CGHS and the Ministry of Health & Family Welfare from time to time in their own interest. ❐

File No.: Z15025/19/2024/DIR/CGHS/EHS(Comp No. 8281286), 1/3687286/2024, Government of India, Ministry of Health & Family Welfare, (EHS Section), New Delhi, Dated 28-06-2024

OFFICE MEMORANDUM

Subject : Revised guidelines for Referral Process in CGHS-reg.

In partial modification of MOHFW OM No. Z. 15025/117/DIR/CGHS/EHSS dated 15.01.2018 and 10.12.2018. the undersigned is directed to convey approval of the Competent Authority for issue of revised guidelines for referral procedures for Consultation. Investigations and Treatment in Government and Private hospitals (empanelled with CGHS), as per details given below:

A. In continuation of OM No Z.15025/18/2020 dated the 09.10.2020 the term "Government hospital", shall also include all AIIMSs, Institutions of National Importance (INIs), North East Institutions, Tata Memorial Hospital and all other medical institutions under central government. No referral permission/ endorsement shall be required for undergoing consultation investigation/ treatment procedures including unlisted investigations/procedures

B. Treatment at Private empanelled hospital(s):

i. **Single referral for Specialist Consultation:** A referral issued by any Medical Officer of a CGHS

Wellness Centre will be valid for three months. During this period, the beneficiary may consult two more specialists ie, up to total of three specialists, if recommended by the primary specialist. A maximum 6 consultations shall be allowed during this validity period of 3 months.

ii. Investigation and treatment Procedures advised by specialist of empanelled private hospital after referral by CGHS: No further endorsement from CGHS shall be required for undergoing routine listed investigations and minor procedures, not requiring admission in the hospital, as advised by the specialist, within the validity period of 3 months from the date of issue of the initial referral. However, Referral endorsement from CGHS shall be required for special investigations like CT Scan, MRI Scan, PET Scan and any other investigation costing over Rs. 3,000/- and the referral will be valid for 3 months.

iii Correspondingly, referral endorsement would be required from Medical Officer of CGHS for any procedure requiring admission in the hospital. which would be valid for 3 month.

iv. Unlisted investigation(s) and treatment procedures advised by the Specialist of CGHS empaneled hospital: Permission for undergoing such investigations and treatment procedures shall be considered as per the delegated powers vide OM Z.15025/14/2023/ DIR/CGHS dated 27.12.2023 in case of pensioners and OM No. S 12020/4/97-CGHS(P) dated 07.04.1999 in case of serving employees. i.e.

a. CGHS (Additional Director/ Director) in case of Pensioner beneficiaries.

b. Head of the Department/ Office (HOD/HOO) in case of serving employee(s)

v. In partial modification of O.M. No. Z15025/35/2019/ DIR/CGHS/CGHS(P) dated 29.05.2019, the special provision for CGHS beneficiaries to avail Consultation/investigations/ treatment procedures shall hereinafter apply to CGI IS beneficiaries aged 70 years and above, as against 75 years prescribed in OM as mentioned above dated 29.05.2019. The other conditions shall remain unchanged. The beneficiaries can also avail of the services through tele-consultation facility available through e-Sanjeevani (https://esanjeevani.mohfw.gov.in/).

vi. In case of treatment under emergency and post-operative follow-up treatment, the instructions shall remain as per extant rules. Reference Instructions:

a. O.M. No. S.11011/29/2019-EHS dated 13.09.2019.

b. O.M. No. Z15025/35/2019/DIR/CGHS/ CGHS(P) dated 29.05.2019 (regarding post-operative follow-up treatment).

❐

हार्दिक शुभकामनाएं

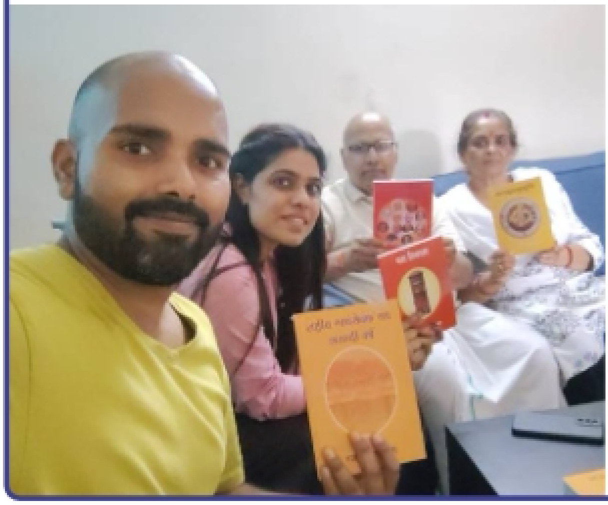

विश्व हिन्दू परिषद के संरक्षक श्रीमान दिनेश चन्द्र जी के कर-कमलों से **वरिष्ठ साहित्यकार श्री रजनीकान्त झा** की चार पुस्तकों का लोकार्पण सम्पन्न हुआ। मुख्य अतिथि श्री दिनेशचन्द्र ने चारों कृतियों पत्र हमारे उत्तर उनके, प्रत्यक्षानुभूति, पता ठिकाना तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शताब्दी वर्ष का लोकार्पण किया। इस अवसर पर श्री दिनेश चंद्र जी ने कहा कि श्री रजनी कान्त का साहित्य एवं राष्ट्र के प्रति अत्यधिक प्रेम है जो कि इनकी पुस्तकों में झलकता है। इनकी पुस्तके व्यक्ति को। अवश्य पढ़नी चाहिए, जिससे उनको समाज एवं साहित्य की जानकारी हो सकें।

हम आशा करते है कि श्री रजनीश कांत जी अपनी पुस्तकों के माध्यम से समाज एवं व्यक्ति के अंदर चेतना भरने का कार्य करते रहेंगे ।।

❐

COMPARISON OF UPS-NPS & OPS

S.N.	Particulars	UPS 24.01.2025 Notification	NPS	OPS
1	Date of effect	01.04.2025	01.01.2004	01.04.1957
2	**Pension / Assured Payout for UPS**	50% of the average basic pay over the last 12 months of retirement for employees retiring with at least **25 years of service** and proportionate pension benefits for employees with 10-25 years of service.	Pension amount depends on the investments made in the NPS investment scheme and the accumulated corpus.	50% of the last drawn salary or average earnings over the previous 10 months of service, whichever is more with at least10**20 years of service.**
3	**Minimum pension / Assured Pay out for UPS**	**Rs. 10,000 per month** for employees with at least 10 years of service.	Minimum pension amount depends on the investments made in the NPS scheme.	**Rs. 9,000 per month** for employees with at least 10 years of service.
4	**Family pension / Family Pay out**	Family payout @ 60% of the payout admissible to the payout holder, immediately before his demise, will be assured to the legally wedded spouse.	Family pension amount depends on the accumulated corpus and the chosen annuity plan.	30% of basic pay subject to the **minimum of Rs.9000 per month**.
5	**Dearness Relief (DR)**	The Dearness Relief will be worked out in the same manner as Dearness Allowance applicable to serving employees. DR will be payable	There is no provision for automatic DR increments to protect against inflation.	The pension is revised twice a year, i.e. on January 1 st and July 1 st , by increasing the Dearness Relief (DR)
6	**Gratuity**	Eligible (But No mention)	Eligible	Eligible
7	**Lump sum amount payment / Commutation of pension**	A lump sum payment will be allowed on superannuation @10% of monthly emoluments (basic pay + DA) for every completed six months of qualifying service. 60% of the Benchmark corpus can be withdrawn as a lump-sum upon superannuation- but Pension shall be restricted to balance amount	60% of the NPS corpus can be withdrawn as a lump sum upon superannuation.	A lump sum amount could be taken at the time of retirement, not exceeding 40%, through commutation of pension. Full pension restores on completion of 15 years. In case of death of pensioner commutated portion will not be recovered.
8	**Employer's contribution**	10% of basic pay + DA.	14% of basic pay + DA.	No contribution to the pension fund
	Employee's contribution	10% of basic pay + DA. (Individual corpus consists of employer's contribution + employees' contribution)	10% of basic pay + DA.	No contribution to the pension fund.
9	**Pool Corpus**	Additional contribution estimated 8.5% of basic pay + DA for supporting assured payouts.	--	--

10	**Additional pension / family pension**	Not available.	Not available.	Pension goes up by 20%, 30%, 40%, 50% and 100% after attaining the age 80, 85, 90, 95 and 100 years respectively.
11	**Voluntary retirement on completion of qualifying service**	in cases of voluntary retirement after a minimum 25 years of qualifying service, assured payout will commence from the date on which the employee would have superannuated, if he had continued in service.	80% of corpus will be kept for annuity fund.	Will get all eligible settlement at the time of voluntary retirement after completing 20 years of service.
12	**Risk factor**	Partially risk-free as it provides minimum assured pension.	There are market risks as the returns depend on the performance of the market-linked funds.	Risk-free as it provides an assured pension.
13	**Tax for contribution towards pension fund**		10% contribution by employee is taxable. Eligible for tax benefit for combined limit of Rs.1.5 lakh under 80C, 80CCC and 80CCD(1).	N.A

INDIVIDUAL CORPUS, BENCH MARK CORPUS & ASSURED PAYOUT

1. If an employee opts for UPS, outstanding NPS corpus in the employees Permanent Retirement Account Number shall be transferred to the employee's individual corpus under the UPS.
2. 'Bench mark corpus' value will be computed by PFRDA with following assumption
    a) Contributions for both the employees and the employer
    b) In case of missing contributions, an appropriate value, to be determined by PFRDA
    c) Investment of such contributions is made as per the 'default pattern' of investment
3. At the time of superannuation or retirement
    a) Employee under UPS has to authorise transfer of the value or units in the individual corpus to the pool corpus, equivalent to the value or units of the benchmark corpus for authorisation of Assured Payout.
    b) In case the value or units of individual corpus is less than value or units of the benchmark corpus, the employee will have an option to arrange for additional contribution to meet this gap.
    c) In case the value or units of individual corpus is more than the value or units of the benchmark corpus, the employee shall authorise transfer of value or units equivalent to the benchmark corpus and the balance amount in the individual corpus will be credited to the employee.
4. In case the values or units transferred by the employee from the individual corpus to the pool corpus, is less than the value or units of the benchmark corpus, payout proportionate to the assured payout shall be authorised.
5. UPS is a fund-based pension system.

Admissible Monthly Assured Payout based on set of following assumptions

(i) The 12 monthly average basic pay before superannuation of an employee is Rs 45,000.

(ii) The employee has a qualifying service of 25 years (300 months) or more.

(iii) All contributions of the employee have been credited regularly and there are no missing credits.

(iv) The employee has opted for 'default pattern' of investment.

(v) The employee did not make any partial withdrawals

Lump Sum Payment on superannuation or VR after 25 years of qualifying service
Basic Pay Rs.45000 + DA Rs.23,850 @ 53% = Rs. 68,850

Scenario	Full filling conditions	Year/month of service	Individual Corpus (IC)	Bench Mark Corpus (BC)	Assured Payout
1	(i) to (v)	25/300	50 lakh	50 lakh	Rs. 22,500 + DR
2	(i), (iii), (iv) & (v)	15/180	30 lakh	30 lakh	Rs. 13,500 + DR
3	(i), (iii), (iv) & (v)	10/120	25 lakh	25 lakh	As per calculation Rs.9000 Minimum assured pay out Rs.10,000
3a			22 lakh (Partial withdrawal)	25 lakh	Rs. 8,800 + DR Full corpus has not been deposited from individual corpus to pool corpus
4	(i), (ii), (iv) & (v)	25/300	45 lakh (Missing Credit)	50 lakh	Rs. 20,250 + DR
5	(i), (ii), (iii) & (iv)	25/300	40 lakh (partial withdrawal)	50 lakh	Rs. 18,000 + DR
6	(i), (ii), (iii) & (v)	25/300	55 lakh	50 lakh	Rs.22,500 + DR (5 lakh one time credit)
7	(i), (ii), (iii) & (v)	25/300	45 lakh (Investment choice in IC value lower than BC)	50 lakh	Rs. 20,250 + DR
7b			45 lakh	50 lakh 2.5 lakh partial recoup by employee	21,375 + DR

BASIC PAY RS.45000 + DA RS.23,850 @ 53% = RS. 68,850

1/10TH OF EMOLUMENT IS RS.6,885

Length of qualifying service	Number of completed 6 months	Lump sum (Rs)
10 years (120 months)	20	1,37,700
15 years (180 months)	30	2,06,550
20 years (240 months)	40	2,75,400
25 years (300 months)	50	3,44,250
30 years (360 months)	60	4,13,100
35 years (420 months)	70	4,81,950

COMPARISON BETWEEN UPS & OPS ON SOME OF THE TERMINAL BENEFITS FOR AN EMPLOYEE RETIRING IN THE BASIC PAY OF RS.45,000 + 53% DA COMPLETING 25 YEARS OF SERVICE.

S. No	Description	UPS	OPS
1	Basic Pay	Rs.45,000	Rs.45,000
2	DA	53%	53%
3	Basic Pay + DA	Rs.68,850	Rs.68,850
4	Pay Out / Basic Pension	Rs.22,500	Rs.22,500
5	DR @ 53%	Rs.11925	Rs.11925
6	Total pension per month	Rs.34,425	Rs.34,425
7	Maximum pension commutation (40%) in OPS		Rs.10,59,480
8	Lump sum in UPS	Rs.3,44,250	
9	Pay out +DR / Pension + DR after commutation	Rs.34,425	Rs.25,425
10	Contribution during service for pension corpus fund per month	10% of BP + DA	Nil
11	Family Pay out / Basic Family Pension	Rs.13,500	Rs.13,500
12	Family Pay out + DR / Family Pension + DR	Rs.20,655	Rs.20,655
13	Pay out / Basic pension at the age of 80	Rs.22,500	Rs.27,000
14	Family Pay out / Basic family pension at the age of 80	Rs.13,500	Rs.16,200

भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मा.श्री मारुती पवार
ASW वर्क्स यूनियन के कार्यकर्ताओं से वार्ता करते हुए

CHIEF ENGINEER(NAVY)
VISAKHAPATNAM

चीफ इन्जनियिर नेवी, विशाखापटन्नम से बैठक करते हुए
MES Employees Union विशाखापटन्नम एवं चेन्नईके पदाधिकारीगण

जबलपुर के कार्यकर्ताओं के संग वार्ता एवं प्रवास करते महासंघ के राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री वीरेंद्र नाथ जी

RNI No. MAHBIL/2002/8760 Publication Date : 31 May 2025
Postal Regd. No. Misc-II/C.P.M/007/K.PH.O./2020 dt 29-12-2020 (for 2021-23) • Posted on Dt. 26,27th Monthly
MONTHLY NEWS PAPER

#SUPPORT INDIAN ARMED FORCES

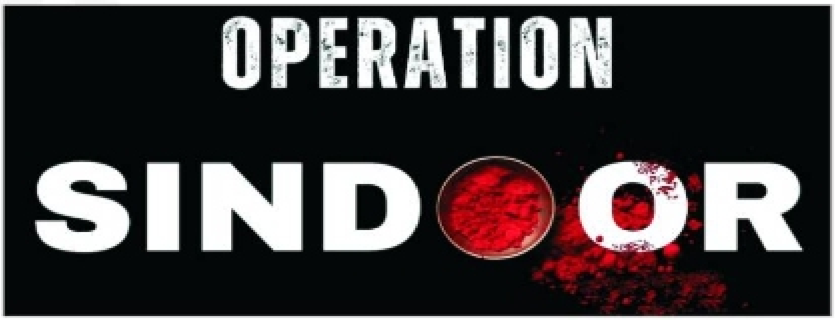

In response to the barbaric Pahalgam terrorist attack on April 22 in which 25 Indians and one Nepali citizen were killed, our Armed forces has initiated military operation **" OPERATION SINDOOR"** hitting terrorist infrastructure in Pakistan and Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. The entire country is proud of the military prowess demonstrated by the Indian Armed Forces against brutal killings of innocent people in Pahalgam.

The citizens of India are pretty confident that the Indian Armed Forces, which has fought valiantly, have the strength and capability to protect our country with unmatched vigilance .

On behalf of the Defence Employees, BPMS would like to extend our seamless support to the Indian Armed Forces and the Government of India for initiating befitting reply to Pakistan.

Bharat mata ki Jai !

BPMS

कृपया अपनी प्रतिक्रियाएँ हमें इस पते पर भेजिये।

If undelivered please return to :

"Pratiraksha Bharti"
C/o. Bharatiya Pratiraksha Mazdoor Sangh
2, Naveen Market, Kanpur - 208 001
Mob. : 9450153677,Tel./Fax : 0512-2332222
Website : www.bpms.org.in
E-mail : gensecbpms@yahoo.co.in, cecbpms@yahoo.in

बुक पोस्ट

Publisher and Owner : Bhartiya Pratiraksha Mazdoor Sangh, 2 Naveen Market, Kanpur-208001
Printed at Chhaya Press 8/208, Arya Nagar, Kanpur-208002 ● Mob. : 9839223650